केस स्टडी - 03/2025

जारी तिथि : 12.01.2025

दुर्घटना

घटनाक्रम:- मध्य रेल्वे के सोलापुर डिवीजन में दिनांक 11.01.25 को **लोको क्र. 60422, NGP/WAG-12B**, गाड़ी क्र. POB/BOXNHL/Empty, **मलठन स्टेशन के अप लूप लाइन स्टार्टर पर** 04.47 बजे आकर खड़ी हुई एवं 05.47 बजे गाड़ी को लाइन क्लियर मिला, लोको पायलट ने ट्रैन मैनेजर से वाकी-टॉकी से बातकर गाड़ी स्टार्ट की, थोड़ी देर बाद ट्रैन मैनेजर ने वाकी-टॉकी पर कर्मीदल को बताया कि गाड़ी पीछे की ओर (रिवर्स दिशा) जा रही है। लोको पायलट ने तुरंत ब्रेक लगाकर गाड़ी खड़ी की। लोको पायलट ने पाया कि **गलती से रिवर्सर, रिवर्स दिशा के तरफ** हो गया था। लोको पायलट ने रिवर्सर को फॉरवर्ड दिशा में रखकर ट्रैन मैनेजर से वाकी -टॉकी पर बात कर दुबारा से गाड़ी स्टार्ट की, परन्तु ट्रैन मैनेजर ने वाकी -टॉकी पर फिर से आवाज़ दी कि **ब्रेकवान का पिछला ट्रॉली डि-रेल (पॉइंट नं. 102) हो गया** है, लोको पायलट ने तुरंत गाड़ी खड़ी कर दी। (टोटल ड्रेगिंग दुरी लगभग 19 मीटर एवं स्पीड : 04 Kmph) ।

WAG-9 REVERSER

WAG-12B REVERSER

कारण:-

- ❖ लोको पायलट द्वारा गलती से रिवर्सर को फॉरवर्ड की जगह रिवर्स दिशा में करना।
- ❖ सहायक लोको पायलट द्वारा भी गाड़ी स्टार्ट करते समय-रिवर्सर सही दिशा में है या नहीं - सुनिश्चित न करना।
- ❖ ट्रैन मैनेजर ने ट्रेन को पीछे जाते हुए देखने पर भी ब्रेकवॉन से ट्रेन में ब्रेक न लगाना।

ON DDU SCREEN

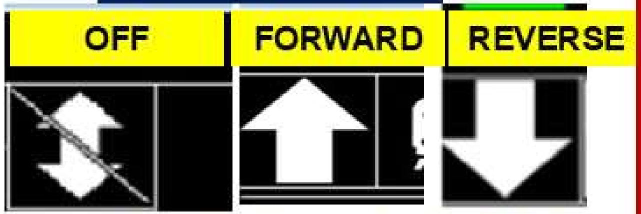

कर्मीदल को सुझाव :-

- ✓ गाड़ी स्टार्ट करने से पहले सुनिश्चित करें कि **रिवर्सर की पोजीशन** गाड़ी के चलने की दिशा के तरफ है।
- ✓ WAG-12 लोको से कार्य करते समय रिवर्सर पोजीशन का विशेष ध्यान रखें क्यूंकि **WAG-12 में रिवर्सर की पोजीशन WAG-9 लोको से बिल्कुल विपरीत** है।
- ✓ WAG-12 लोको में स्क्रीन के लेफ्ट साइड कोर्नर पर भी रिवर्सर की स्थिति बताता है , जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है।
- ✓ सभी सहायक लोको पायलट को गाड़ी संचलन के दौरान लोको पायलट द्वारा किये जाने वाले क्रियाकलापो पर ध्यान रखें, विशेषकर गाड़ी स्टार्ट करते समय- रिवर्सर की पोजीशन, SA-9/A-9 की स्थिति, BP/FP प्रेशर आदि एवं रोकते समय -MP/थ्रोटल, GR की स्थिति व SA-9/A-9 की स्थिति आदि।

सभी मुख्य लोको नियंत्रक उपरोक्त निर्देशों को सभी लोको रनिंग कर्मचारियों को अवगत करायें एवं कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

(निखिल सिंह)
वरि.मं.वि.इंजि.(परि.),नागपुर

नोट: केस स्टडी केवल कर्मीदल को काउन्सलिंग देने के उद्देश्य से तैयार की गई है, इसे काउन्सलिंग के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए मान्य नहीं होगा।